ईमेल / डाक
आवश्यक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.3(3)(1)रोल्स / निर्वा / 2013 / 790   जयपुर दिनांक 12.03.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषय : **अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का हैल्थ चैकअप कर गुणात्मक सुधार करने एवं EPIC कवरेज व PER मतदाता के फोटो के शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 21 जनवरी, 2013 को किया गया है। राज्य में आगामी विधानसभा आम चुनाव में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियॉ जिसके साथ एक–एक पूरक सूचियॉ संलग्न है एवं इसके बाद निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के क्रम में तैयार की जाने वाली पूरक सूचियों को सम्मिलित करते हुए इनका प्रयोग किया जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के सांख्यिकी ऑकड़ों का विधानसभा क्षेत्रवार / मतदान केन्द्रवार विशलेषण किया जाए तथा तद्नुसार विभिन्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जाकर गुणात्मक / मात्रात्मक सुधार किये जाए।

2. इस विषय में विभाग द्वारा मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के बाद कई महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश जारी किये है। इसके अन्तर्गत राज्य में महिलाओं का पंजीकरण, पुरूष मतदाताओं की तुलना में कम होने के कारण महिलाओं के पंजीकरण के विषय में एक अभियान आयोजित करने हेतु भी दिशा–निर्देश दिये गये है। विभाग द्वारा इस क्रम में राज्य सरकार के ऐसे विभाग जिनमें फील्ड स्तर पर महिला कर्मचारी कार्यरत है के माध्यम से दिनांक 15 जनवरी, 2013 से 15 फरवरी, 2013 के मध्य ऐसी महिलाओं का चिन्हिकरण किया जाना था जो मतदाता बनने की पात्रता रखती है किन्तु इनका अभी तक मतदाता सूची में नाम नहीं है। इन विभागों द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक ऐसी पात्र महिलाओं की सूचियॉ संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है। यदि उक्त सूचियॉ अभी भी इन विभागों से प्राप्त नहीं हुई है तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त सूची अविलम्ब प्राप्त कर निम्न प्रकार से कार्यवाही करें।

2.1 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उपरोक्त सूची प्राप्त करने के बाद संबंधित बीएलओ को उक्त सूची उपलब्ध करायेगें तथा बीएलओ विभाग द्वारा इस क्रम में जारी निर्देश पत्रांक 4436 दिनांक 27.12.2012 के अनुसार घर–घर जाकर ऐसी

महिलाओं से प्रारूप 6 में आवेदन प्राप्त करेगें। **यह कार्य दिनांक 30 मार्च, 2013 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना है।**

2.2 विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 423 दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा अर्हता दिनांक 01. 01.2013 के संदर्भ में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के ऑकड़ों के आधार पर विधानसभा क्षेत्रवार/भागवार पंजीकृत महिला/पुरूष मतदाताओं के ऑकड़े उपलब्ध कराए गए है। इन ऑकड़ों के आधार पर मतदान केन्द्र का लिगांनुपात निर्धारित किया जा सकता है। मतदान केन्द्र की जनसंख्या का लिगांनुपात निर्धारित करने हेतु ऑकड़ों का निर्धारण गत् वर्ष माह जुलाई–अगस्त, 2012 बीएलओ पंजिका के आधार पर सर्वे के दौरान संकलित किये गये ऑकड़ों से किया जा सकता है। यदि मतदान केन्द्रवार उक्त ऑकड़े उपलब्ध नहीं है तो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या के ऑकड़ों का प्रयोग किया जा सकता है। विधानसभा क्षेत्रवार 1.1.2013 को प्रोजेक्टेड पुरूष एवं महिलाओं की जनसंख्या आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। इन ऑकड़ों के आधार पर मतदान केन्द्रों के लिगांनुपात विशलेषण कर ऐसी महिलाओं की संख्या का आंकलन किया जा सकता है जिनका अभी तक मतदाता सूची में पंजीकरण होना शेष है तथा तद्नुसार कार्यवाही की जा सकती है।

2.3 **बीएलओ इस कार्य के साथ–साथ ग्रामीण स्तर पर क्रियाशील महिलाओं के स्वयं सहायता ग्रुप (Self Helping Grops) से भी संपर्क में रहेगें तथा इनके साथ मतदाता सूचियों का पठन कर ऐसी महिलाओं को चिन्हित करेगें जो सर्वे के दौरान चिन्हित नहीं हो पाई है। इन महिलाओं को स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से प्रेरित कर प्ररूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जाएगी।**

2.4 इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मोनीटंरिग भी की जानी है। इस क्रम में सर्वप्रथम **परिशिष्ट 'ए'** के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सर्वे के दौरान पंजीयन हेतु चिन्हित की गई महिलाओं की सूचना तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) के मार्फ़त दिनांक 15 मार्च, 2013 तक विभाग को प्रेषित की जानी है। चूँकि बीएलओ द्वारा चिन्हित की गई महिलाओं के मतदाता सूची में नाम जुड़वाने हेतु प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें, इसलिए दिनांक 31 मार्च, 2013 के तुरन्त बाद 05 अप्रैल, 2013 तक **प्रपत्र 'बी'** में इस विषय में सूचना प्रस्तुत करनी होगी। इसी प्रकार आवेदन पत्रों के निस्तारण के बाद **प्रपत्र 'सी'** में सूचना 20 अप्रैल, 2013 तक प्रेषित करनी होगी।

इस कार्यवाही का मूल उद्देश्य यह है कि राज्य में पुरूष मतदाताओं की तुलना में तथा जनसंख्या के ऑकड़ों की तुलना में महिलाओं का पंजीकरण कम है इस अन्तर को कम/समाप्त कर पुरूषों के समान किया जाए।

3. राजस्थान राज्य में जनसंख्या के अनुपात में मतदाताओं का पंजीकरण निर्धारित अनुपात में है अर्थात राज्य में प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर 542 व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में है तथा इसी अनुपात में राज्य में मतदाताओं का पंजीकरण भी है। यदि अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के ऑकड़ों का विशलेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि राज्य के कुछ विधानसभा/मतदान केन्द्रों में मतदाताओं का पंजीकरण निर्धारित मापदण्ड से या तो अधिक है या कम है। चूँकि हमारे पास इस विषय में ऑकड़े उपलब्ध है इसलिए इन ऑकड़ों के आधार पर विधानसभा/मतदान केन्द्रों का चिन्हिकरण कर जनसंख्या/मतदाता अनुपात का विशलेषण करना होगा। जैसा कि पैरा 2 में उल्लेखित किया गया है कि अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व बीएलओ द्वारा बीएलओ पंजिका के आधार पर घर–घर जाकर सर्वे का कार्य किया गया है। इस कार्य के दौरान उनको आवंटित मतदान केन्द्र की जनसंख्या का भी आकंलन किया गया है अर्थात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रवार जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध है। इन आंकड़ों के आधार पर मतदाताओं/जनसॅख्या [E/P] अनुपात का विशलेषण किया जाना है।

3.1 सर्वप्रथम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों की मतदान केन्द्रवार जनगणना के ऑकड़े बीएलओ के रजिस्टर के आधार पर संकलित किये जायेगें। विधानसभा क्षेत्र/जिलेवार उक्त ऑकड़ें वर्तमान में उपलब्ध है।

3.2 मतदान केन्द्र के पंजीकृत मतदाताओं एवं जनसॅख्या के अनुपात का विशलेषण किया जायेगा। यदि उक्त अनुपात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र/जिले के अनुपात से अत्यधिक कम या अधिक है तो इस अन्तर को कम करने के लिए यथास्थिति मतदाता सूची में पंजीकरण से शेष रहे मतदाताओं के चिन्हिकरण का कार्य किया जायेगा। यदि यह अनुपात अधिक है तो सर्वे कर यह पता लगाया जायेगा कि मतदान केन्द्र विशेष में बोगस/मृत्त/स्थानांतरित मतदाता तो पंजीकृत नहीं है तथा तद्नुसार इनकी सूची तैयार की जाए।

3.3 उपरोक्त विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर पर संलग्न **परिशिष्ट डी एवं ई** में सूचना संकलित कर मोनीटरिंग की जाएगी। विधानसभा क्षेत्रवार उक्त सूचना दिनांक 05 अप्रैल, 2013 तक विभाग को प्रेषित की जाएगी।

4. दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के विधानसभा क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार यह ऑकड़े भी उपलब्ध है किस आयु वर्ग में कितने पुरूष एवं महिलाएँ मतदाता पंजीकृत है। इस कम में 18–19 आयु वर्ग के ऑकड़ों का विशेष रूप से विशलेषण किया जाना है यदि इस विषय में जनसंख्या के ऑकड़ों को देखा जाए तो 3.81 प्रतिशत जनसंख्या इस आयु वर्ग की है जिसके विरूद्ध 1.48 प्रतिशत युवाओं का मतदाता सूची में पंजीकरण है। इसी प्रकार से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में युवावर्ग में पंजीकरण कम है इस हेतु विशेष प्रयास किये जाने है जो निम्न प्रकार है।

4.1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं बीएलओ यथास्थिति ऑकड़ों का विशलेषण करेगें तथा विशलेषण के बाद यह प्रतीत होता है कि युवा वर्ग का पंजीकरण कम है तो ऐसे युवाओं को चिन्हित कर उनसे प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेगें। इस विषय में यह भी संभव है कि इस आयु वर्ग के नवयुवक/नवयुवतियॉ अध्ययन हेतु अपने निवास से दूर किसी शैक्षणिक संस्थान में अध्ययनरत हो, ऐसी स्थिति में उनसे यह विकल्प लिया जाए कि वह अपना नाम अपने रहवास की मतदाता सूची में लिखवाना चाहते है या अपने शैक्षणिक संस्थान में जिसमें कि वह अध्ययनरत है, उस क्षेत्र की विधानसभा मतदाता सूची में पंजीकृत करवाना चाहते है।

4.2 विभाग द्वारा छात्र/छात्राओं का पंजीकरण करने के संबंध में विगत् वर्षो में राज्य में संचालित होने वाले विभिन्न महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में विशेष अभियान चलाया गया है। इस कार्य के लिए इन शैक्षणिक संस्थानों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की गयी है तथा शैक्षणिक संस्थान के परिसर में कैम्प आयोजित कर पात्र छात्र/छात्राओं से यथास्थिति फार्म 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किये है या अपने रहवास की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के संबंध में विकल्प भी प्राप्त किये गए है। अतः समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी माह जुलाई, 2013 में शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश समाप्त होने के तुरन्त बाद सत्र प्रारम्भ होने पर प्रवेश के समय इस प्रकार के कैम्प आयोजित कर आवेदन पत्र भरवाने का कार्य करेगें जिससे कि इस आयु वर्ग के नवयुवकों का मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सके। **जिला निर्वाचन अधिकारी इससे पूर्व उनके जिले के शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक आयोजित कर प्रस्तावित अभियान की रूपरेखा तैयार कर लें तथा इस विषय में सभी तैयारियॉ कर लें जिससे माह जुलाई में आवेदन पत्र प्राप्त कर इन पर यथा स्थिति कार्यवाही की जा सकें।**

5. दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में मतदान केन्द्रवार/विधानसभा क्षेत्रवार हमारे पास ऑकड़े उपलब्ध है तथा मतदाता सूची में पंजीकृत

ऐसे कितने मतदाता है जिनके फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गये है तथा ऐसे कितने मतदाता है जिनके मतदाता सूची में प्रविष्टि के सामने फोटो मुद्रित नहीं है। राज्य में लगभग 4.70 लाख मतदाता है जिनके फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किये गये है तथा 6.99 लाख मतदताओं की प्रविष्टि के सामने फोटो मुद्रित नहीं है। इस विषय में मतदान केन्द्रवार सांख्यिकी सूचना आपको विभाग के पत्र कमांक 423 दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा भेजी गयी है। इस कम में प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बीएलओ के लिए मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित किये जाए तथा इसे आवश्यक रूप से 31.03.2013 तक प्राप्त किया जाए। यहॉं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31 मार्च, 2013 के बाद राज्य में कोई मतदाता ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको अभी तक मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं मिला है अथवा उनकी मतदाता सूची में प्रविष्टि के सामने फोटो मुद्रित नहीं है। विभाग द्वारा इस विषय में निर्धारित दिनांक के बाद विधानसभा क्षेत्रवार परीक्षण किया जाकर संबंधित ईआरओ को विभाग में बुलाकर व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा की जायेगी तथा यथास्थिति आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस बिन्दु पर मोनीटरिंग करने हेतु **परिशिष्ट एफ, जी** का निर्धारण किया गया है जिसके अनुसार रिर्पोट प्रेषित करनी है।

6. अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में दिनांक 21 जनवरी, 2013 को मतदाता सूचियों के अन्तिम प्रकाशन के तुरन्त बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने के विषय में निरन्तर अद्यतन की प्रकिया प्रारम्भ हो गयी है। विभाग द्वारा विगत वर्षो में ईआरओ/बीएलओ के लिए कई प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के बाद भी उनमे यह भ्रॉति है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने आदि की कार्यवाही पुनरीक्षण कार्यकम के दौरान ही की जाती है तथा इस भ्रॉति के फलस्वरूप उनके द्वारा कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उन पर कार्यवाही नहीं की जाती है। इसके फलस्वरूप निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान पंजीकरण की कार्यवाही शून्य के बराबर होती है।

6.1 समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान निरन्तर अद्यतन की प्रकिया के दौरान उनके कार्यालय में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को निर्धारित रजिस्टर में पंजीकृत किया जाए तथा निर्धारित अवधि में निस्तारण किया जाए। इसके आधार पर निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान तैयार होने वाली पूरक सूची तैयार होगी। विधानसभा आम चुनाव के दौरान अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं इसके साथ संलग्न पूरक सूची व निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान तैयार सूची का प्रयोग किया जायेगा। **यदि विभाग के ध्यान में यह आया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईआरओ निरन्तर अद्यतन प्रकिया के दौरान आवेदन पत्र स्वीकार नहीं कर रहे है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।**

6.2 निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से ईआरओ बिना किसी बाधा के आवेदन पत्र प्राप्त करने के विषय में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करेगें। इसके अंतर्गत उनके कार्यालय या उनके क्षेत्राधिकार में ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जहॉ कि आम लोगों की अधिक आवा–जाही होती है वहॉ पर एक बॉक्स रखा जा सकता है, जिसमें विभिन्न आवेदन पत्र भरने के विषय में संक्षिप्त निर्देश चस्पा किये जाए तथा इस बॉक्स के माध्यम से नियमित रूप से आवेदन पत्र एकत्रित किया जाकर इनका निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण किया जाए। इसके अतिरिक्त यदि कोई और व्यवस्था पंजीयन को सुविधाजनक बनाने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने स्तर पर करना चाहे तो उसके लिए वह स्वंतत्र है।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों को जिले के सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अवगत कराने का श्रम करें तथा जिला स्तर पर भी इस विषय में प्रभावी मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3(3)(4)रोल्स/निर्वा/2012/790 जयपुर दिनांक 12.03.2013

प्रतिलिपि :–

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–'ए'

दिनांक 15 जनवरी, 2013 से 15 फरवरी, 2013 के मध्य सर्वे के दौरान चिन्हित की गई महिलाओं की सांख्यिकी सूचना

क्र. सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	सर्वे के दौरान चिन्हित की गई महिलाओं की संख्या	चिन्हित की गई महिलाओं में से ऐसी महिलाओं की संख्या जो पूर्व से ही मतदाता सूची में पंजीकृत है।	ऐसी चिन्हित महिलाओं की संख्या जिनका मतदाता सूची में पंजीयन किया जाना था।

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट–'बी'

बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर–घर जाकर चिन्हित की गई महिलाओं के प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करने के संबंध में सूचना

क्र. सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	चिन्हित की गई महिलाओं की संख्या जिनके प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त करने थे।	चिन्हित की गई महिलाएँ जिनसे बीएलओ द्वारा प्रारूप 6 में आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है, की संख्या।	अन्य स्त्रोत से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	कुल योग

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट–'सी'

महिलाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की सूचना

क्र. सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	मतदाता सूची में महिलाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त कुल आवेदन पत्रों की संख्या	बाद जॉच स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृति से शेष आवेदन पत्रों की संख्या	विशेष विवरण

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट–'डी'

विधानसभा क्षेत्रवार मतदाता/जनसॅख्या अनुपात की सूचना

क्र. सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व क्रमांक	अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदाता/जनसॅख्या अनुपात	राज्य/जिला स्तर से अनुपात में अन्तर		मतदाता/जनसंख्या अनुपात के क्रम में किये गये प्रयोगों के बाद दिनांक 31.03.2013 को मतदाता/जनसंख्या अनुपात	विशेष
			राज्य स्तर	जिला स्तर		

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट–'ई'

1. जिले का नाम ....
2. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या ....
3. जिले की मतदाता/जनसॅख्या अनुपात ....
4. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र व मतदाता/जनसॅख्या का अनुपात ....

क्र. सं.	मतदान केन्द्र का नाम व क्रमांक	मतदान केन्द्र मे पंजीकृत मतदाताओं की संख्या			मतदान केन्द्र की कुल जनसंख्या	दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार मतदान केन्द्र की मतदाता जनसंख्या अनुपात	दिनांक 31.03.2013 को मतदान केन्द्र की मतदाता जनसंख्या/अनुपात
		पुरूष	महिला	योग			

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

परिशिष्ट–'एफ'

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता फोटो पहचान–पत्र से वंचित व मतदाता सूची में उनकी प्रविष्टियों के सामने मतदाताओं की फोटो मुद्रित नहीं होने के क्रम में सूचना

क्र. सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या	ऐसे मतदाताओं की संख्या व प्रतिशत जिन्हें अभी तक पहचान–पत्र जारी नहीं हुए है।		पहचान–पत्र जारी होने से शेष मतदाताओं की संख्या	दिनांक 31 मार्च, 2013 तक पहचान पत्र तैयार करवाने हेतु एकत्रित फोटोओं की संख्या
			संख्या	**प्रतिशत**		

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नोट – समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केन्द्रवार उक्त सूचना अपने स्तर पर संधारित कर मोनीटंरिग करेगें।

परिशिष्ट–'जी'

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूची में से उनकी प्रविष्टियों के सामने मतदाताओं की फोटो मुद्रित नहीं होने के क्रम में सूचना सूचना

क्र. सं.	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	दिनांक 21 जनवरी, 2013 को अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या	ऐसे मतदाताओं की संख्या व प्रतिशत जिनकी अभी तक मतदाता सूची में फोटो मुद्रित नहीं है।		मतदाता सूची के फोटो मुद्रित करवाने हेतु एकत्रित फोटोओं की संख्या
			संख्या	**प्रतिशत**	

हस्ताक्षर
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

नोट – समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदान केन्द्रवार उक्त सूचना अपने स्तर पर संधारित कर मोनीटंरिग करेगें।